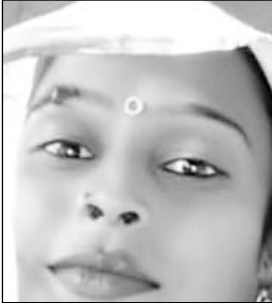


दो दिन से घर से लापता मां-बेटी के शव खेत में बने पाँण्ड में मिले

पुलिस ने दोनों शवों को पुलिस सुरक्षा में लेकर मोर्चरी में रखवाया

मालपुरा, (निर्स)। मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र के पचेवर कस्बे में पावर हाऊस के पास खेत में बने फार्म पोण्ड में रविवार को एक विवाहित महिला व मासूम बच्ची का शव तैरता मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पुलिस सुरक्षा में लेकर मालपुरा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक विवाहिता के पिता ने पचेवर थाने में मामला दर्ज कराया है।



विवाहित महिला व मासूम बच्ची।

परिजनों द्वारा मां-बेटी को जगह-जगह तलाश किया गया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रविवार को दोपहर ग्रामीणों

के जरिये सूचना मिली कि पावर हाऊस के पास एक खेत में बने फार्म पाँण्ड में दो शव तैर रहे हैं। सूचना पर पहुंची

पुलिस ने मौजूद ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को बाहर निकाल उनकी पहचान नसीब व मनीषा भाण्ड मां-बेटी के रूप में की। परिजनों ने बताया कि 22 मार्च को उनकी और से पचेवर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया गया था। मृतक नसीब का विवाह चार साल पूर्व पचेवर निवासी जीतराम भाण्ड के साथ सम्पन्न हुआ था। मृतका का पति जयपुर रोजगार के लिये गया हुआ था, 21 मार्च को नसीब अपनी बेटी के साथ बिना परिजनों को बताये घर से निकली थी, जो देर शाम तक घर नहीं लौटी। ससुराल पक्ष की और से पीहर पक्ष को भी मामले की सूचना दी गई। सूचना पर मालपुरा

जिला अस्पताल पहुंचे मृतका के पिता समेलिया थाना क्षेत्र फागी निवासी राघव पुत्र शम्भु भाण्ड ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उसकी बेटी के साथ मारपीट व प्रताड़ित करने के चलते नसीब द्वारा अपनी जीवनलीला समाप्त करने जैसा कदम उठाने का अंदेशा बताया है। दोनों मां-बेटी का शव घर से महज लगभग चार सौ मीटर दूर एक खेत में बने फार्म पाँण्ड में तैरता मिला है। दिनभर पीहर व ससुराल पक्ष के लोगों के बीच सामाजिक स्तर पर बातचीत का दौर चला लेकिन सहमति नहीं बनने पर मृतका के पिता की और से दी रिपोर्ट पर मामला दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम करा सुपुर्द किया गया।

पुलिस ने अनशनकारी को जयपुर रैफर किया

झुंझुनूं, (निर्स)। कलेक्ट्रेट के बाहर गुढ़ागोड़जी के टोडी में जमीन विवाद को लेकर न्याय की गुहार लगा रहे रोशनलाल मेघवाल को रविवार को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जयपुर भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार रोशनलाल मेघवाल व दो अन्य राजेश देवी तथा संजय कुमार पिछले पांच दिन से कलेक्ट्रेट के बाहर अनशन पर बैठे थे। शनिवार को रोशनलाल मेघवाल की तबियत बिगड़ने पर उसे बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रात को रोशनलाल बिना मेडिकल स्टाफ को बताए वापिस अनशन स्थल पर पहुंच गया। सुबह वापिस पुलिस पहुंची और रोशनलाल को बीडीके अस्पताल ले आई। जहां पर मेडिकल टीम ने रोशनलाल के स्वास्थ्य की जांच की। जिसमें गंभीर हालत होने पर उसे जयपुर रैफर करने का परामर्श दिया। चिकित्सकों की रिपोर्ट पर जब कोतवाल हरजिंदर सिंह रोशनलाल को

एंबुलेंस में बैठाने के लिए ले जा रहे थे, तो रोशनलाल एक बार फिर तैश में आ गया और पुलिस से खुद को छुड़वाने लगा। लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती रोशनलाल को एंबुलेंस में बैठाकर उसे जयपुर के लिए रवाना किया। इधर, रोशनलाल को जयपुर रवाना करने पर अनशन पर बैठे राजेश देवी और संजय कुमार ने बताया कि पहले गुढ़ागोड़जी पुलिस और प्रशासन कथित भूमाफियाओं से मिला हुआ था। अब झुंझुनूं पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत भी सामने आ रही है। राजेश देवी ने बताया कि जब डॉक्टर अनशन स्थल पर आकर जांच कर रहे थे। तो वे बता रहे थे कि सब ठीक है। लेकिन बाद में पुलिस और प्रशासन के दबाव में चिकित्सक गलत रिपोर्ट बताकर रोशनलाल को जयपुर भेजा है। ताकि यह अनशन और धरना यहीं पर खत्म हो जाए।

इधर, रोशनलाल मेघवाल को जयपुर रैफर किए जाने के बाद भी कलेक्ट्रेट के बाहर धरना व अनशन

जारी है। रोशनलाल के जयपुर रैफर की सूचना मिलने पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि धरना स्थल पहुंचे। यहां पर भी वक्ताओं ने आरोप लगाया कि रोशन मेघवाल को जबरदस्ती बीडीके अस्पताल भेजा। जहां से उन्हें जयपुर रैफर कर दिया गया। इससे पहले, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धरना स्थल पर पहुंचकर मेघवाल का स्वास्थ्य परीक्षण किया था, जिसे ठीक बताया गया था। इसी दौरान, राजेश देवी को भी पुलिस ने बीडीके अस्पताल में भर्ती करवा दिया। धरने के दौरान भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विकास आल्हा, बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बंशीधर भीमसरिया, जिला संघर्ष समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जयलाल सिंह, डीके महरिया और अन्य नेताओं ने धरने को संबोधित किया। धरने में भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष रवि सेवदा, प्रभुदयाल रेगर, महेंद्र सिंह कारावास, वयोवृद्ध तोताराम सैनी सहित कई प्रदर्शनकारी शामिल थे।

पांच साल पुराने 40 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

- मामले के अन्य पांच आरोपियों को 21 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी
- हिरासत में लिए जाने के करीब 20 घंटे बाद शाम को परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी

श्रीगंगानगर, (निर्स)। करीब पांच साल पुराने 40 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में एसओजी ने एक आरोपी पंकज अग्रवाल निवासी नागपाल कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया। उसे देर रात ही हिरासत में लिया गया था।

मामले में रोचक बात यह है कि मामले के अन्य पांच आरोपियों को 21 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी। इस बात का एसओजी को तभी पता चल गया था, क्योंकि एसओजी के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने को मौजूद थे। जमानत मिलने वालों के अलावा यह एक मात्र आरोपी था जिस पर पुलिस का डंडा चल सकता था। हुआ भी यही। एसओजी ने दिल्ली से श्रीगंगानगर लौट रहे सभी आरोपियों को लोकेशन ट्रेस की। श्रीगंगानगर में घुसने ही जिला पुलिस की मदद से पकड़ लिया और जयपुर ले गए।

हिरासत में लिए जाने के करीब 20 घंटे बाद शाम को परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी है। यह मामला गणपति मल्टी कमोडिटी की ओर से

22 दिसंबर 2019 को ज्योति सीमेंट वाले प्रेम अग्रवाल, उसके पुत्र प्रदीप अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, पत्नी कमला अग्रवाल, पुत्रवधू रेखा अग्रवाल व नेहा अग्रवाल पर करीब 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले की जांच एसओजी जयपुर के डीवाईएसपी शिवकुमार भारद्वाज कर रहे हैं।

पंकज अग्रवाल को हिरासत में लेने पर उनकी पत्नी नेहा अग्रवाल की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने याचिका लगाई गई। उन्होंने अपने पति को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाया। इसे लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जवाहरनगर एसएचओ से रविवार 11 बजे से पहले वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की। नेहा अग्रवाल के वकील विपिन सिद्ध ने बताया कि इस मामले

में प्रेम अग्रवाल, कमला अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, नेहा अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका 21 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी। याचिकाकर्ता नेहा अग्रवाल के पति पंकज अग्रवाल अपने भाई प्रदीप अग्रवाल के साथ दिल्ली से वापिस लौट रहे थे। रास्ते में ही मीरा चौकी पर नाकाबंदी कर पुलिस ने पंकज अग्रवाल को गाड़ी से उतार लिया।

एडवोकेट सिद्ध ने बताया कि पुलिस ने पंकज अग्रवाल के परिवार को गिरफ्तारी संबंधी कोई दस्तावेज नहीं दिखाया और इतना ही बताया गया कि एसओजी यूनिट की ओर से इस आशय के निर्देश मिले हैं। एडवोकेट सिद्ध ने बताया कि इसके बाद पंकज अग्रवाल को एक निजी कार में बैठाकर ले गए। पंकज अग्रवाल को अग्रिम

जमानत नहीं मिली थी। उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को श्रीगंगानगर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

मामले का दूसरा रोचक पहलू यह भी सामने आया है कि इस मामले में एसओजी 21 मार्च तक पेश की तथ्यात्मक रिपोर्ट में पंकज अग्रवाल को आरोपी नहीं मान रही थी। पंकज अग्रवाल के अधिवक्ता विपिन सिद्ध ने बताया कि हमारी ओर से छह में से पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। इसका कारण यह था कि एसओजी की ओर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में पंकज का नाम तक शामिल नहीं होता था। वरना हमारी ओर से पांच की जगह सभी छह आरोपियों की ही जमानत याचिका लगाई जा सकती थी। जब एसओजी के हाथ गिरफ्तारी से खाली रह गए तो जिस पर आरोप नहीं मान रहे थे, उसे तरह गिरफ्तार किया गया जैसे कि गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है।

जैसलमेर, (निर्स)। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत ने सर्किट हाउस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एसएसआई) के अधिकारियों के साथ सोनार किले की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्य विषय किले के द्वितीय द्वार को खोलने और पर्यटकों की

- बैठक में किले की ऐतिहासिक संरचना को सुरक्षित रखते हुए सुविधाओं के विस्तार और भीड़ प्रबंधन पर विचार किया

आवाजाही को बेहतर बनाने का है। बैठक में किले की ऐतिहासिक संरचना को सुरक्षित रखते हुए सुविधाओं के विस्तार और भीड़ प्रबंधन पर विचार किया गया, जिससे पर्यटकों को अधिक सुगम अनुभव मिल सके। सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री शेखावत का जैसलमेर एयरपोर्ट और जैसलमेर सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत-



केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत (दांये से प्रथम) ने सर्किट हाउस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ सोनार किला की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की।

अभिन्दन किया। उन्होंने सर्किट हाऊस में बड़ी संख्या में उपस्थित गणमान्य लोगों से मुलाकात की औश्र अपने स्वागत-अभिन्दन के लिए सभी का आभार बताया।

शेखावत ने कहा कि पहले की सरकारों की यह सोच हुआ करती थी कि सीमावर्ती क्षेत्र प्रतिबंधित रहे, वहाँ लोगों का आवागमन न हो, जबकि प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी की सोच यह है कि सीमावर्ती गांव हमारा आखिरी नहीं पहला गांव है। जब से उसको पहला गांव कहकर संबोधित करना शुरू किया है, उसी तरह से विकसित करना शुरू किया, उसका प्रभाव अब दिखाई देने लगा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अभी हाल में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के साथ बैठक हुई। बड़े स्तर पर

हम जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा दे सके, उसको लेकर चर्चा की। राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो एक बार प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को दें, ताकि हम आइकॉनिक डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की स्कीम में जैसलमेर को सम्मिलित कर पेंडिंग संभावनाओं को विकसित करने के लिए काम कर सकें।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किशनगढ़बास की बेटी प्रज्ञा पालावत का सम्मान

किशनगढ़ बास, (निर्स)। खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़ बास की बेटी व भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता प्रज्ञा पालावत को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण, समानता और न्याय की वकालत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित

- सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं प्रज्ञा पालावत, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिला प्रशस्ति पत्र

किया गया है जो किशनगढ़ बास के पालावत परिवार के साथ जिले के लिए गौरव की बात है। किशनगढ़बास की बेटी व सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता प्रज्ञा पालावत के पिता एडवोकेट संजीव सिंह बारेट किशनगढ़बास बार एसोसिएशन के सदस्य हैं तथा जिला कांग्रेस कमेटी अन्तवर में प्रवक्ता हैं। बारेट ने बताया कि उनकी बेटी प्रज्ञा पालावत को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय न्यायविद परिषद और अखिल भारतीय बार एसोसिएशन की ओर से महिला सशक्तिकरण, समानता और न्याय की वकालत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान



सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रज्ञा पालावत (बीच में)प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुये।

के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान न्यायमूर्ति डॉ. के.जी. बालाकृष्णन, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति विनीत सरन अध्यक्ष रावी और ब्यास जल न्यायधिकरण और सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के यहां प्रदान किया गया। प्रज्ञा पालावत को मिले सम्मान पर प्रज्ञा पालावत के दादा बरिष्ठ अधिवक्ता एवं पदमश्री से सम्मानित

कवि सूर्यदेव सिंह बारेट ने खुशी जाहिर की और कहा यह सम्मान पूरे परिवार का नहीं बल्कि क्षेत्र व जिले का सम्मान है। किशनगढ़ बास निवास पर अधिवक्ताओं एवं परिचित लोगों ने पिता संजीव सिंह बारेट व दादा सूर्यदेव सिंह बारेट को बेटी प्रज्ञा पालावत के सम्मानित होने पर बधाई दी। इस अवसर पर बारेट परिवार ने लोगों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया।

शांतिभंग में नौ गिरफ्तार

सादलपुर, (निर्स)। राजगढ़ थाना पुलिस की ओर से चिटा, हेरोइन और नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए गए अभियान अंतर्गत माता मंडी क्षेत्र में शांति भंग करने के आरोप में रविवार को नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाअधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि अभियान अंतर्गत माता मंडी क्षेत्र में कुछ लोग आपस में झगडा कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा झगडे का कारण पूछा तो एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो गए। उन्होंने बताया कि मामले में समझाने के बाद भी झगडा करने पर आरोपी अमित कुमार जाट, रोहित राजपूत, प्रेम शर्मा, साहिल कायमखानी तथा विपिन मेघवाल, रोहित रेगर, किशन राजपूत, प्रवीण जाटव नीरज योगी को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।



जैसलमेर। जिले की द्वारकाधीश धाम माने जाने वाली नगरी रामदेवरा में पद्मश्री से सम्मानित पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल ने रविवार को लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। उन्होंने समाधि पर प्रसाद और चादर चढ़ाकर विधिवत पूजा-अर्चना की। साथ ही देश की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर का भ्रमण करने के बाद पौडवाल ने बाबा रामदेव समाधि समिति कार्यालय का दौरा किया। वहां उन्होंने समिति सदस्यों से मुलाकात कर बाबा रामदेव के इतिहास की जानकारी ली। बाबा के वंशज कानसिंह तंवर और मोतीसिंह तंवर ने उन्हें बाबा रामदेवजी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया।

लोहार्गल की चेतनदास बावड़ी में तोड़फोड़ व मारपीट का मामला जमीन विवाद का निकला

झुंझुनूं, (निर्स)। जिले के गोठड़ा थाना इलाके के लोहार्गल में स्थित चेतनदास महाराज की बावड़ी मंदिर में रात को हुई मारपीट का मामला जमीनी विवाद का निकला। इस मामले में मंदिर के महंत गोपालदास ने अपने ही सगे भांजे बजरंगलाल शर्मा और उसके साथियों पर जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया है।

महंत गोपालदास ने बताया कि वे करीब पांच-छह दशक से बावड़ी, मंदिर को संभालते हैं। उनका भांजा भी जब छोटा था तो उनके पास आ गया। उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, जिसके बाद बाद भांजा बजरंगलाल शर्मा उनके साथ ही रहने लगा, लेकिन अब भांजे बजरंगलाल के मन में लोभ आ गया। वह बावड़ी, मंदिर और मंदिर के नीचे आने वाली जमीन को हड़पना चाहता है। जिसके लिए आए दिन धमकियां देता है और झगड़ा करता है। बीती रात को महंत गोपालदास के बेटे का साढ़ू भोजासर निवासी शंकरलाल शर्मा मिलने के लिए अपने दोस्त राकेश शर्मा के साथ आया था। रात ज्यादा होने के कारण वह मंदिर में ही ठहर गया। इसी दौरान रात को बजरंगलाल शर्मा अपने दो-तीन साथियों के साथ लाठियों और सरियों से लैस होकर आया। जिसने



पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू की।

महंत पर हमला बोल दिया। तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। बीच-बचाव में शंकरलाल और राकेश आए तो उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद भाग गए।

शंकरलाल का इलाज जयपुर में चल रहा है, जिसे कई जगहों पर फ्रैक्चर आए हैं। वहीं राकेश भी घायल है। इस मामले में गोठड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मामला

दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने मंदिर में मकान के गेट को तोड़कर सामान को खुर्द-बुर्द कर दिया और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पिछले चार-पांच महीनों से बजरंगलाल शर्मा द्वारा महंत को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। आज पुलिस ने मौका मुआयना किया है। वहीं जल्द ही मामले

की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। इधर, महंत गोपालदास ने अपनी जान को खतरा बताया है।

महंत पर भी दर्ज करवाया मामला:- इसी मामले को लेकर महंत गोपालदास समेत करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पिपराली निवासी विजय प्रकाश शर्मा ने गोठड़ा थाना में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में विजय प्रकाश

- सगा भांजा ही महंत गोपालदास का दुश्मन बना, मामला दर्ज

शर्मा ने बताया कि 21 मार्च को रात्रि करीब नौ बजे बजरंगलाल शर्मा का फोन आया और मंदिर में आने को कहा। जब मैं और बजरंगलाल शर्मा मंदिर में पहुंचे तो गोपाल शर्मा पुत्र रघुनाथ शर्मा, मंजूदेवी पत्नी गोपाल शर्मा, रमाकांत शर्मा पुत्र गोपाल शर्मा, सोनू शर्मा पत्नी रमाकांत शर्मा निवासी भाना वाली ढाणी तन बागोरिया कि ढाणी, पवन शर्मा भोजासर सहित उनके साथ गाड़ियों में आए-अन्य आठ से दस लोगों ने मिलकर लाठियों व सरियों से जानलेवा हमला कर दिया व मंदिर में रखा कीमती सामान गाड़ियों में डालकर ले गए।

हम दोनों ने चिराना सीएचसी में प्राथमिक उपचार कराया। जहां से बजरंगलाल शर्मा को गंभीर हालत में सीकर रैफर कर दिया गया। उक्त घटना को लेकर पुलिस प्रशासन से कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में शुरू कर दी है।